दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 30.10.2013

निर्णीत: 07.11.2013

रि.या. (सि.) 1055/2011, सि.वि. आ. 2239/2011, 5093/2013 और 13341/2013

एसोसिएशन फ़ॉर डेवलपमेंट एवं अन्य .... याचीगण

द्वारा: श्री कॉलिन गोंजाल्विस, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री तारिक अदीब, अधिवक्तागण।

बनाम

भारत संघ और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री सिद्धार्थ लूथरा, अति.महा.सा. सह श्री सचिन दत्ता, श्री गुरमोहन सिंह बेदी और श्री विनीत तायल, प्रत्यर्थी सं. 1 के लिए अधिवक्तागण।

सुश्री गीता लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री मनोज के. मिश्रा, प्रत्यर्थी सं. 2 के लिए अधिवक्ता।

सुश्री शोभा, श्री आर.एन. महलावत, प्रत्यर्थी सं. 3 के लिए अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट
माननीय न्यायमूर्ति श्री नजमी वज़ीरी

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट</u>

1. याचीगण ने इन रिट कार्यवाहियों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (इसके पश्चात् "अधिनियम") के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (इसके पश्चात् "एनसीपीसीआर" या "आयोग") के सदस्यों के रूप में दूसरे और तीसरे प्रत्यर्थी (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से संदर्भित होने पर "निजी प्रत्यर्थीगण" और व्यक्तिगत रूप से उनके नाम क्रमशः डॉ. दूबे और श्री टिक्कू द्वारा संदर्भित) की नियुक्ति को चुनौती दी है और इस संबंध में 22-11-2010 को जारी अधिसूचना को अभिखंडित करने की माँग की है।

2. प्रथम याचिकाकर्ता, एसोसिएशन फ़ॉर डेवलपमेंट का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष राज मंगल प्रसाद द्वारा किया जाता है; दूसरे याचिकाकर्ता एचएक्यू फ़ॉउंडेशन (इसके पश्चात् "एचएक्यू") का प्रतिनिधित्व इसकी सह-निदेशक सुश्री भारती अली द्वारा किया जाता है। याचीगण का आरोप है कि वे इन कार्यवाहियों के माध्यम से प्रथम प्रत्यर्थी (केंद्र सरकार, इसके पश्चात् "भारत संघ" के रूप में संदर्भित) द्वारा पात्र उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित करने और अंततः आयोग के सदस्यों के रूप में निजी प्रत्यर्थीगण का चयन करने में अपनाई गई प्रक्रिया की मनमानी प्रकृति को उजागर करना चाहते हैं।

याचिका में दावा किया गया है कि प्रथम प्रत्यर्थी के निदेशक राज मंगल प्रसाद इन कार्यवाहियों में सार्वजनिक हित में स्वयं को जोड़ने के अतिरिक्त, यह दावा करते हुए अपने निजी अधिकार का हनन भी करना चाहता है कि उम्मीदवार के रूप में जिसने स्वयं को एनसीपीसीआर के सदस्य के पद के लिए प्रस्तुत किया था, उसके दावे और आवेदन की गलत ढंग से अनवेक्षा की गई। हालाँकि दोनों याचीगण बयान देते हैं कि:

> *"हालाँकि, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जनहित का मामला यह है कि इस पद पर नियुक्ति के लिए कई योग्य व्यक्तियों पर विचार न किए जाने से याचीगण बहुत व्यथित हैं। यदि ऐसे मेधावी व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता और उनका चयन नहीं किया जाता तो याचीगण को शायद ही कोई शिकायत होती। याचीगण की मुख्य चिंता यह है कि अतिरिक्त कारणों से व्यक्तियों की नियुक्ति की प्रथा बंद होनी चाहिए तथा देश में सर्वश्रेष्ठ लोगों को आयोग जैसी कानूनी संस्थाओं का संचालन करना चाहिए"।*

यह भी प्रकथन दिया गया है कि प्रथम याचिकाकर्ता की स्थापना 1993 में समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से की गई थी, तथा इसने वर्षों से अपने प्रयासों के माध्यम से देश में शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न तरीकों से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। याचिका में प्रकथन किया गया है कि एचएक्यू को 1999 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था और यह एक गैर सरकारी संगठन है जो सभी बच्चों के अधिकारों की पहचान, संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करता है, उनके

सरोकारों को सभी विकासात्मक योजनाओं और कार्यों में मुख्यधारा में लाता है, बाल अधिकारों को एक मुख्य विकासात्मक संकेतक के रूप में स्थापित करता है, राज्य के प्रदर्शन की निगरानी करता है और राज्य को जवाबदेह बनाता है। यह बयान दिया गया है कि एचएक्यू का मानना है कि सभी बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति में राज्य प्राथमिक कर्तव्यधारक है। इसलिए बच्चों के अधिकार अच्छे शासन का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए।

3. याचीगण का प्रतिवाद है कि वे इस बात से बहुत चिंतित हैं कि एनसीपीसीआर की सदस्यता केवल गुणागुण के आधार पर भरी जाए, क्योंकि आयोग बच्चों के अधिकारों को लागू करने के लिए निकाय की निगरानी संस्था है। उन्होंने भारत संघ द्वारा आयोग के सदस्यों के चयन और नियुक्ति में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर आधारित होनी चाहिए। याचीगण ने अधिनियम की धारा 3 का संदर्भ दिया है, तथा इस बात पर प्रकाश डाला है कि इसकी शर्तों के अनुसार, भारत संघ को छह निर्दिष्ट श्रेणियों या विषयों (शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण या बाल विकास; किशोर न्याय या उपेक्षित या हाशिए पर पड़े बच्चों या दिव्यांग बच्चों की देखभाल; बाल श्रम या संकटग्रस्त बच्चों का उन्मूलन; बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और बच्चों से संबंधित विधि) में से दो महिलाओं सहित छह सदस्यों की नियुक्ति करनी है। यह बयान दिया गया है कि एनसीपीसीआर के सदस्यों की नियुक्ति पहली बार 2007 में

तीन वर्ष के लिए की गई थी, जिनका कार्यकाल 10-4-2010 को समाप्त हो गया था। 18-05-2010 को डॉ. सिन्हा को पुनः एनसीपीसीआर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। याचीगण का प्रतिवाद है कि अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एनसीपीसीआर के सदस्यों के संबंध में चयन प्रक्रिया के बारे में मौन हैं, जिससे पारदर्शिता की कमी की चिंता पैदा हुई है। यही कारण था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष पहले भी कार्यवाही (रि.या. 10296/2009) की गई थी। उन कार्यवाहियों में न्यायालय ने आवश्यक आदेश दिए। भारत संघ के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को चयन की पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करने के लिए उन निर्देशों को कार्यान्वित करना था। इसके भाग के रूप में, चयन समिति के सदस्यों के साथ-साथ चयनित उम्मीदवारों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाना था।

4. आगे बयान दिया गया है कि प्रभारी मंत्री, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव तथा बाल अधिकारों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एक स्वतंत्र विशेषज्ञ की एक चयन समिति अप्रैल 2010 में गठित की गई थी; विशेषज्ञ सुश्री पद्मा सेठ थीं। उसी महीने उन्होंने यह आरोप लगाते हुए त्याग पत्र दे दिया कि मंत्रालय उन पर कुछ ऐसे उम्मीदवारों को चुनने के लिए दबाव डाल रहा है जिनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में मामले लंबित हैं। याचीगण ने एक समाचार रिपोर्ट का उद्धरण दिया जिसमें कहा गया था कि सुश्री सेठ ने एक पत्र में मंत्री

से विशेष आमंत्रित सदस्यों को जोड़ने का अनुरोध किया था क्योंकि उन्हें लगा कि समिति बहुत छोटी है। उन्होंने सुश्री सेठ द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र पर भी भरोसा किया है जिसमें कहा गया था कि यदि भारत संघ की कार्रवाई को चुनौती दी गई तो सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सुश्री सेठ के स्थान पर डॉ. श्यामा चोना को नियुक्त किया गया; समिति में उनके शामिल होने की तिथि याचीगण को ज्ञात नहीं है। याचिका गैर सरकारी संगठन, प्रतिनिधि की सुश्री सोनम गुलाटी द्वारा पूछे गए प्रश्न पर मंत्रालय के सीपीआईओ के उत्तर पर आधारित है, जिसमें कहा गया था कि सदस्यों के पदों को भरने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। याचिका में बयान किया गया है कि तीन सदस्यीय समिति ने भारत संघ की वेबसाइट पर दिए गए तथ्यों के अनुसार, जवाब देने वाले 165 नामों की सूची में से पाँच उम्मीदवारों को चुना; वे थे सुश्री सुखन्या भरतराम, डॉ. योगेश दूबे, सुश्री दीपा दीक्षित, डॉ. दिनेश लारोइया और श्री विनोद कुमार टिक्कू। भारत संघ ने पिछली रिट याचिका में दिए गए आदेश के अनुपालन में इन नामों को सूचनार्थ 01-10-2010 को वेबसाइट पर डाल दिया। भारत संघ ने चयनित उम्मीदवारों के सीवी तो डाल दिए, लेकिन चयनित उम्मीदवारों की उपयुक्तता के बारे में सार्वजनिक जानकारी देने के लिए कोई अन्य दस्तावेज़ नहीं डाले।

5. यह आरोप लगाया गया है कि समिति ने कभी भी उम्मीदवारों से बातचीत नहीं की, या उनका साक्षात्कार नहीं लिया; न ही ऐसा कुछ है जिससे

पता चले कि उसे डॉ. दूबे के बारे में प्रेस में लगाए गए आरोपों की वैधता का आकलन करने के लिए कोई साक्ष्य मिला हो। उम्मीदवारों की अनुपयुक्तता और सदस्यों के चयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया लागू करने के लिए न्यायालय के 03-02-2010 के आदेशों का पालन करने में भारत संघ की विफलता के संबंध में याचीगण द्वारा दायर एक अन्य कार्यवाही, रि.या. 7200/2010 का संदर्भ दिया गया है। न्यायालय ने याचिका को एक अभ्यावेदन के रूप में लेने और भारत संघ द्वारा उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था, तथा याचीगण को अभ्यावेदन पर पारित किए जाने वाले किसी भी आदेश के संबंध में विधि के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी थी। याचीगण ने एनसीपीसीआर की कार्यप्रणाली के बारे में मीडिया में व्यक्त की गई चिंताओं और 5-4-2010 तक अपनी स्थापना के बाद से लंबित 227 मामलों में से किसी का भी निपटारा करने में असमर्थता का उल्लेख किया है, साथ ही डॉ. दूबे और श्री टिक्कू के बारे में प्रतिकूल आलोचना की है कि उन्होंने चयन समिति को प्रस्तुत किए गए बायोडेटा में महत्वपूर्ण जानकारी रोक ली है। यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत संघ ने चयन प्रक्रिया के संबंध में इस न्यायालय के पिछले निर्देशों का केवल तकनीकी रूप से अनुपालन करने का प्रयास किया है, तथा मूलतः इसका उल्लंघन किया है। याचीगण के अनुसार, चयन समिति ने निजी प्रत्यर्थीगण की परिचय-पत्र सत्यापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि भारत संघ के समक्ष

प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन में व्यक्त की गई इन चिंताओं को 09-12-2010 के पत्र में दरकिनार कर दिया गया।

6. याचीगण द्वारा समिति की बैठकों का विवरण दिया गया है। 29-04-2010 की बैठक का संदर्भ दिया गया है, जिसमें 6 पदों को भरने के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम बिना कोई कारण बताए सूचीबद्ध किए गए थे। 09-07-2010 की अगली बैठक में, श्री गेरी पिंटो सहित कई उम्मीदवारों के नाम हटा दिए गए थे। अन्य लोगों को संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया था, जो आश्चर्यजनक था, क्योंकि कुछ उम्मीदवारों के आवेदन प्रारंभिक बैठक के समय प्राप्त हुए थे, जैसे कि श्री शशांक शेखर। इस बारे में कुछ भी प्रकट नहीं किया गया कि उनके नामों पर अचानक विचार क्यों किया गया, जबकि वे पहली बार में संक्षिप्त सूची में नहीं थे। 29-07-2010 की बैठक में अचानक निर्णय लिया गया था कि एससी/एसटी वर्ग का अभ्यावेदन आवश्यक है; डॉ. पॉल दिवाकर (एससी) को अचानक शामिल किया गया, जबकि उसका आवेदन पहली संक्षिप्त सूची (जिसमें उसका नाम नहीं था) से पहले प्राप्त हुआ था। हालाँकि, इस बैठक के बाद उसका नाम उल्लेखित नहीं किया गया, या अस्पष्ट रूप से, विचार नहीं किया गया। यह आरोप लगाया गया है कि हालाँकि शिक्षा, स्वास्थ्य, किशोर न्याय या देखभाल, बाल श्रम और बाल विधियों की श्रेणियों में 3 से 5 व्यक्तियों के नाम चुने गए थे, लेकिन बाल मनोविज्ञान या सामाजिक कल्याण से संबंधित व्यक्ति के लिए केवल एक व्यक्ति को चुना गया था, अर्थात श्री

टिक्कू, जो पूरी तरह से अयोग्य थे। 29-04-2010, 09-07-2010 और 27-10-2010 की बैठकों में किशोर न्याय से संबंधित पदों के लिए 3 व्यक्तियों पर विचार किया गया, अर्थात राघवेंद्रधीरा, जे. पी. तिवारी और प्रदीप राहुनंदन। बिना किसी स्पष्टीकरण के, समिति ने संक्षिप्त सूची को नज़रअंदाज़ कर दिया और 21-09-2010 को सुश्री अमिता ढांडा का चयन किया; हालाँकि उसका नाम 01-10-2010 को मंत्रालय द्वारा बाहर कर दिया गया जब उन्होंने घोषणा की कि उसका बायोडाटा इसकी वेबसाइट पर नहीं था आरटीआई के जवाब में कहा गया कि पाँच बैठकें आयोजित की गईं, जबकि मंत्रालय की वेबसाइट पर उल्लेख किया गया है कि चार बैठकें आयोजित की गईं। भारत संघ का दावा है कि चयन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत चर्चा हुई थी, यह कहकर विवादित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। याचीगण का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति जिन्हें चुना भी नहीं किया गया था, वे अपनी योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव के कारण पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थे।

7. याचीगण का आरोप है कि श्री दूबे ने सत्ताधारी पार्टी से अपने जुड़ाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। उनका बयान है कि वे मुंबई उत्तर से कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम के करीबी सहयोगी हैं। याचिका में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि उक्त उम्मीदवारों ने तत्काल चयन प्रक्रिया में अपनी योग्यता के बारे में जो दावा किया था और चुनाव में खड़े होने के समय

उसने जो घोषित किया था, उसमें अंतर है। उसने अखिल भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता महासंघ का अध्यक्ष होने का भी दावा किया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि यह संस्था पंजीकृत है या नहीं। याचीगण का बयान है कि श्री दूबे जिन संगठनों से जुड़े होने का दावा करता है, उनमें से कई पंजीकृत नहीं पाए गए हैं। याचीगण ने एक समाचार रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है कि श्री दूबे एक बीयर बार चलाता था। श्री टिक्कू के इस पद पर रहने का परिचय पत्र भी विवादित है; याचीगण का बयान है कि उसके सीवी से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह 23 वर्षों से एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में काम कर रहा था और सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के समय वह एक प्रशिक्षु था। याचीगण का आरोप है कि इस प्रत्यर्थी ने अपने पूरे करियर में एक बैंक में काम किया है, जहाँ महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री कृष्णा तीरथ का पति उसके अधीन काम कर रहा था। याचीगण का आरोप है कि यह भाई-भतीजावाद और धोखाधड़ी है। श्री टिक्कू के सीवी में यह दावा कि उसने बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम किया है, विवादित है।

8. इन सभी आरोपों के आधार पर याचीगण ने बयान दिया कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी या निष्पक्ष नहीं थी, बल्कि मनमानी थी। निजी प्रत्यर्थीगण से बेहतर योग्यता और अनुभव रखने वालों को विवेचन से बाहर रखा गया; भारत संघ ने आवेदन आमंत्रित करने का कोई निष्पक्ष तरीका कभी नहीं अपनाया। बैठकों के संबंध में लिए गए कार्यवृत्त उचित नहीं थे और इस बात का कोई

स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि क्यों योग्य और बेहतर योग्यता वाले उम्मीदवारों पर कभी विचार नहीं किया गया। न ही इस बात का कोई स्पष्टीकरण दिया गया कि उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची में नामों को बार-बार बदलने की माँग क्यों की गई।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि दो सदस्यों अर्थात मैसर्स दूबे और टिक्कू की नियुक्ति के लिए अपनाई गई चयन प्रक्रिया दूषित और मनमानी थी। तर्क दिया गया कि समिति ने उचित तरीके से आवेदन करने के लिए रिक्तियों के प्रकाशन जैसी निष्पक्ष पद्धति को अपनाकर आम जनता से कोई नाम नहीं माँगे। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया मनमानी और पक्षपातपूर्ण थी। केवल 9 उम्मीदवारों को ही क्यों चुना गया; उनमें कौन से गुण थे, जिससे वे इस पद के लिए उपयुक्त थे; किस वजह से समिति ने 160 अन्य उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया; समिति की बैठकों में लगातार नाम क्यों शामिल किए गए और क्यों हटाए गए, ये सब अभिलेख में नहीं आया है।

10. यह प्रस्तुत किया गया है कि समिति की बैठक के विभिन्न कार्यवृत्तों पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि न तो उम्मीदवारों की योग्यता और न ही ऐसे उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए पदभार संभालने की उपयुक्तता पर कभी चर्चा की गई थी। अधिवक्ता ने इस तथ्य पर ज़ोर दिया कि एनसीपीसीआर एक विशेष निकाय है, जिसकी कल्पना

बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए की गई थी। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि 1992 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियम अस्तित्व में लाया गया था, यह तर्क दिया गया कि संसद का आशय निकाय (एनसीपीसीआर) को एक सार्थक प्राधिकरण बनाना है, जो न केवल मुद्दों का अध्ययन और निपटान करेगा, बल्कि सर्वोत्तम प्रथाओं का भी अध्ययन करेगा और उपयुक्त अधिकारियों को नीतियाँ सुझाएगा, ताकि कन्वेंशन के अंतर्गत देश के दायित्वों को पूरा किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को राष्ट्र में उनका सही स्थान सुनिश्चित किया जाए।

11. दूसरे और तीसरे प्रत्यर्थीगण की नियुक्ति में परिणत चयन प्रक्रिया से मनमानेपन की बू आती है, यह प्रतिवाद दिया गया है कि उनकी नियुक्तियों को केवल भाई-भतीजावाद और राजनीतिक संरक्षण के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित नियुक्तियों ने एनसीपीसीआर का मज़ाक उड़ाया है और इसकी प्रतिष्ठा और गरिमा को कम किया है। सुने जाने के अधिकार की कमी के अभिवाक् का जवाब देते हुए, (भारत संघ और निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाया गया) अधिवक्ता ने *पंजाब राज्य बनाम सलिल सबलोक और अन्य* (उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत सिविल अपील सं. 1365-1367/2013) के रूप में प्रकाशित निर्णय पर भरोसा किया।

12. भारत संघ की स्थिति यह है कि उसके द्वारा एनसीपीसीआर में नियुक्त सदस्य रि.या. 10296/2009 में न्यायालय के सुझावों के अनुसार गठित समिति की अनुशंसाओं के आधार पर थे। यह प्रतिवाद दिया गया है कि वर्तमान याचिका में कोई गुणागुण नहीं है और याचीगण ने यह प्रकट नहीं किया है कि इन कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए उनके पास सुने जाने का अधिकार कैसे है। विद्वान अतिरिक्त महा सॉलिसिटर (अति.महा.सा.) का प्रतिवाद है कि दो निजी प्रत्यर्थीगण की नियुक्ति ने न तो किसी कानून की शर्तों, कानूनी नियमों या किसी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया है। उक्त दो सदस्यों का चयन और नियुक्ति की अनुशंसा समिति के व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर की गई थी और न्यायालय को निर्णय के गुणागुण की जाँच करने से बचना चाहिए। इस बात पर ज़ोर दिया गया कि पिछली रिट याचिका में भी न्यायालय ने भारत संघ के पास विवेकाधिकार निहित करने वाले कानून की शर्तों को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर कोई दिशानिर्देश देने से परहेज किया। भारत संघ के अनुसार, इन कार्यवाहियों में केवल यही उचित रूप से जाँचा जा सकता है कि क्या प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ थी, क्या इसमें अप्रासंगिक विचारों को शामिल नहीं किया गया और क्या यह सद्भावनापूर्ण थी। यदि इसके विपरीत कोई सामग्री नहीं है - जैसा कि वर्तमान मामले में है - जनहित याचीगण या यहाँ तक कि जिन्होंने श्री प्रसाद के मामले में उसी पद के लिए असफल आवेदन किया था, के आरोप निराधार आशंकाएँ हैं, जिन्हें न्यायालय को स्पष्ट

रूप से वैध नियुक्तियों को बाधित करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए *गुजरात उच्च न्यायालय बनाम गुजरात किसान मजदूर पंचायत* 2003 (4) एससीसी 71 के रूप में प्रकाशित निर्णय पर भरोसा किया गया कि अधिकार-पृच्छा कार्यवाही कार्यकारी को सार्वजनिक नियुक्तियाँ करने से नियंत्रित करने का आधार नहीं हो सकती है। उन्होंने *राजेश अवस्थी बनाम नंद लाल जायसवाल* 2013 (1) एससीसी 501 पर भी भरोसा करते हुए कहा कि न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही में केवल सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्तियों की पात्रता और वैधता से संबंधित है, न कि व्यक्तिगत उम्मीदवारों की उपयुक्तता से।

13. इन कार्यवाहियों में दायर प्रति शपथपत्र के आधार पर यह तर्क दिया गया कि चयन समिति की पहली बैठक 06-04-2010 को महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें मंत्रालय के सचिव और विशेषज्ञ के रूप में डॉ. पद्मा सेठ शामिल थी। भारत संघ इन आरोपों से इनकार करता है कि किसी भी उम्मीदवार के चयन के लिए किसी पर कोई दबाव डाला गया था और प्रस्तुत करता है कि डॉ. सेठ ने बैठक में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि उनकी बहन बीमार थी और आईसीयू में थी। उसने 21-04-2010 के अपने पत्र में आगे कहा कि उम्मीदवारों का चयन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसे वह नहीं कर सकती थीं; परिणामस्वरूप उसने अनुरोध किया कि उसे सदस्य के रूप में कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर किसी

और को नियुक्त किया जाए। इसलिए, डॉ श्यामा चोना को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। भारत संघ 19-05-2010 की समाचार रिपोर्ट की सत्यता से इनकार करता है; यह डॉ. सेठ से किसी भी पत्र प्राप्त करने से भी इनकार करता है जिसमें विशेष आमंत्रितों को चयन समिति के विचार-विमर्श में शामिल होने के लिए कहा गया हो। यह तर्क दिया गया कि भारत संघ द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया था कि अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन न हो; सदस्यों के पद के लिए अनुशंसाएँ करने का काम सौंपी गई चयन समिति ने प्रभावी ढंग से और बिना हस्तक्षेप के काम किया। विद्वान अति.महा.सा. ने कहा कि इन परिस्थितियों में न्यायालय को अपनी राय भारत संघ की राय से प्रतिस्थापित नहीं करनी चाहिए, जिसने एनसीपीसीआर के सदस्यों के रूप में निजी प्रत्यर्थीगण का चयन करते समय और 22-11-2010 को उनकी नियुक्तियों को अधिसूचित करते समय सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और सद्भावपूर्ण तरीके से विचार किया था।

14. श्री टिक्कू की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री शोभा ने तर्क दिया कि वर्तमान मुकदमा पोषणीय नहीं है। उन्होंने *उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल एवं अन्य* (2010) 3 एससीसी 402 के रूप में प्रकाशित उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि श्री प्रसाद का तथाकथित निजी हित इस मुकदमे के पीछे का असली मकसद है। इस बात पर ज़ोर दिया

गया कि याचीगण को एनसीपीसीआर के सदस्यों की नियुक्ति में कोई वास्तविक हित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वे अधिक से अधिक - यदि वे अधिकार-पृच्छा रिट माँगते तो ऐसा कर सकते थे। हालाँकि, रिट याचिका में अभिवचन ऐसी राहत से परे हैं, और न्यायालय को नियुक्तियों के गुणागुण की गहन जाँच करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र की अनुमेय सीमाओं से परे है।

15. विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय, सेंटर फ़ॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य [(2011) 4 एससीसी 1 पर भरोसा किया। यह तर्क दिया गया कि नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले कानूनी उपबंधों और विनियमों के स्पष्ट उल्लंघन के अभाव में, उच्च न्यायालय को अधिकार-पृच्छा रिट जारी करने का भी अधिकार नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने भी पिछली रिट याचिका (रि.या. 10296/2009) में जानबूझकर इस संबंध में दिशानिर्देश बनाने से परहेज किया कि चयन समिति को किस प्रकार कार्य करना चाहिए, इसमें किस प्रकार के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए और एनसीपीसीआर के सदस्यों के पास किस प्रकार की योग्यताएँ होनी चाहिए तथा भारत संघ के पास कितनी शक्तियाँ होनी चाहिए। यह तर्क दिया गया कि वास्तव में, न्यायालय ने कहा कि चूँकि अधिनियम - सदस्यों को किस विषय

से लिया जाना है, इसका उल्लेख करने के अतिरिक्त - कई पहलुओं पर मौन है, इन परिस्थितियों में, न्यायालय के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का गहन विश्लेषण करना और यह निष्कर्ष निकालना संकटपूर्ण होगा कि निजी प्रत्यर्थीगण किसी भी तरह से दूसरों की तुलना में कम योग्य थे। यह भी प्रतिवाद दिया गया कि वास्तव में उठाया गया विवाद एक सेवा मामला है, जिस पर जनहित याचिका में विचार नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में, उन्होंने *आर.के. जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य* [(1993) 4 एससीसी 119], *डॉ. दुर्योधन साहू एवं अन्य बनाम जितेंद्र कुमार मिश्रा एवं अन्य* [(1998) 7 एससीसी 273] *दत्ताराज नाथूजी थावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य* [(2005) 1 एससीसी 590], और *अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* [(2004) 3 एससीसी 349] के रूप में प्रकाशित निर्णयों पर भरोसा किया।

16. यह प्रस्तुत किया गया कि श्री टिक्कू के विरुद्ध लगाए गए आरोप कि वह स्टेट बैंक में सुश्री तीरथ के पति से वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो एनसीपीसीआर के रूप में उसकी नियुक्ति का प्राथमिक कारण है, झूठे हैं। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वास्तव में मंत्री के पति ने श्री टिक्कू के समान शाखा में केवल एक वर्ष तक ही कार्य किया था। श्री टिक्कू एक दशक पहले बैंक की सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए थे। अधिवक्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उसके पास सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री है, तथा उसके पास कई वर्षों का क्षेत्रीय अनुभव भी है। यह प्रस्तुत किया गया कि उसके चयन

और नियुक्ति से पहले, भारत संघ ने सभी उम्मीदवारों का विवरण और दावों का सत्यापन किया था। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रथम याचिकाकर्ता के अध्यक्ष श्री प्रसाद और श्री टिक्कू ने एक ही संस्थान, अर्थात् दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी और श्री टिक्कू ने उस पाठ्यक्रम में बेहतर अंक और स्थान प्राप्त किया था। बाल विकास के क्षेत्र में भी उसे व्यापक अनुभव था तथा उसने विभिन्न संगठनों के लिए कई कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए थे। इसलिए इस पद पर बने रहने की उसकी योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

17. याचिका की स्वीकार्यता और न्यायालय के सीमित अधिकार क्षेत्र पर डॉ. दूबे की आपत्तियाँ श्री टिक्कू की ओर से लगाए गए आरोपों के समान ही थीं। इसके अतिरिक्त, उसकी ओर से वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता सुश्री गीता लूथरा द्वारा तर्क दिया गया कि उसके बीयर बार के मालिक होने के आरोप निराधार हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सत्ताधारी पार्टी से मात्र राजनीतिक संबद्धता किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का आधार नहीं हो सकती। यह तर्क दिया गया कि सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए डॉ. दूबे के विवरण और पात्रता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। भारत संघ ने उसके बायोडाटा में किए गए दावों का सत्यापन किया था और उसके आवेदन को वैध माना गया था, तथा इसकी अनुशंसा किसी एक सदस्य या अधिकारी द्वारा नहीं, बल्कि तीन सदस्यीय समिति द्वारा की गई थी, जिसका गठन पिछली रिट याचिका में इस

न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया गया था। इन परिस्थितियों में, न्यायालय को "गुणागण" पुनरीक्षण करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय को अपनी राय को कानूनी रूप से नामित प्राधिकारी, अर्थात केंद्र सरकार के विवेक के स्थान पर प्रतिस्थापित करना होगा। उन्होंने तर्क दिया कि परिणामस्वरूप, न्यायालय को याचिका खारिज कर देनी चाहिए। यह तर्क दिया गया कि चयन प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती, क्योंकि कानून मौन है और अपनाई गई प्रणाली निष्पक्ष और उचित है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

18. एनसीपीसीआर की स्थापना मार्च 2007 में अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधियाँ, नीतियाँ और तंत्र भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में परिकल्पित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों। आयोग ने अपना दृष्टिकोण (अपनी वेबसाइट http://ncpcr.gov.in/ पर) निम्नानुसार बताया है:

> *"आयोग राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में अधिकार-आधारित परिप्रेक्ष्य को शामिल करने की कल्पना करता है, साथ ही राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टताओं और शक्तियों का ध्यान रखता है। प्रत्येक बच्चे तक पहुँचने के लिए, यह समुदायों और घरों तक गहरी पहुँच बनाने का प्रयास करता है तथा अपेक्षा करता है कि ज़मीनी अनुभवों से यह पता चले कि इस क्षेत्र को उच्च स्तर पर सभी प्राधिकारियों से कितना सहयोग प्राप्त होगा।*

इस प्रकार आयोग राज्य की अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था-निर्माण प्रक्रिया, समुदाय स्तर पर स्थानीय निकायों के स्तर पर विकेन्द्रीकरण के प्रति सम्मान तथा बच्चों और उनके कल्याण के प्रति व्यापक सामाजिक सरोकार को देखता है"।

अधिनियम की धारा 3 में आयोग की संरचना का विवरण दिया गया है; जहाँ तक प्रासंगिक है, वह उपबंध नीचे उद्धृत है:

3. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी।

(2) आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात; -

(अ) एक अध्यक्ष जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है; और

(आ) *6 सदस्य, जिनमें से कम से कम दो महिलाएँ होंगी, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव वाले व्यक्तियों में से की जाएगी, जो निम्नलिखित क्षेत्रों से होंगे, -*

(i) शिक्षा;

(ii) बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण या बाल विकास;

(iii) किशोर न्याय या उपेक्षित या हाशिये पर रहने वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों की देखभाल;

(iv) बाल श्रम या संकट में बच्चों का उन्मूलन;

(v) बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र; और

(vi) बच्चों से संबंधित विधियाँ।

धारा 4, जो कुछ हद तक प्रासंगिक है, निम्नानुसार प्रावधान करती है:

"4. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी:

परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भारसाधक मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी।

19. इस न्यायालय द्वारा निपटान की गई पिछली रिट याचिका (एसोसिएशन फ़ॉर डेवलपमेंट बनाम भारत संघ रि.या. 10296/2009, दिनांक 03-02-2010 को निर्णीत) में, इस न्यायालय ने एनसीपीसीआर के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में भारत संघ की ओर से आश्वासन दर्ज किया था:

"विद्वान महा सॉलिसिटर ने बिना किसी पक्षपात के अपने विधिक प्रतिविरोधों के साथ निर्देश प्राप्त करने के बाद बयान दिया कि भारत सरकार चाहती है कि अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति की संरचना का निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में लिया जाए। हालाँकि यह आश्वासन दिया जाता है कि चयन समिति की संरचना तय करते समय इस न्यायालय के उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा और चयन समिति का कम से कम एक सदस्य बाल अधिकार या कल्याण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्वतंत्र विशेषज्ञ होगा। विद्वान महा सॉलिसिटर ने यह भी आश्वासन दिया है कि चयन

> *प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद और नियुक्ति की अधिसूचना से कम से कम 30 दिन पहले, चयन समिति के सदस्यों के साथ-साथ चयनित उम्मीदवार/उम्मीदवारों के विवरण उनकी योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिए जाएँगे। विद्वान महा सॉलिसिटर ने प्रतिवाद दिया है कि उपरोक्त व्यक्त की गई आशंकाओं को दूर करेगा और इसे पहले परीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए"।*

न्यायालय ने तब उल्लेख किया था कि कानून (अर्थात अधिनियम) नियुक्तियों के तरीके या प्रक्रिया के बारे में मौन था। संकेतित प्रक्रिया एक तरह से कानूनी रूप से निर्धारित अधिदेश (आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में धारा 4 के परंतुक में निहित) को सदस्यों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के साथ संरेखित करती है, अर्थात तीन सदस्यीय समिति के माध्यम से चयन द्वारा। न्यायालय ने टिप्पणी की कि वह कानून के शब्दों को फिर से नहीं लिखेगा, या उसमें ऐसी आवश्यकताओं को नहीं पढ़ेगा जो स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई हैं। *ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग* एआईआर 2009 एससी 3194 से उद्धृत करने के बाद कि विधि का प्रयास तटस्थता और निष्पक्षता के ढाँचे को प्रतिबिंबित करना है और *"सामान्य निर्णय लेने के क्षेत्र को सरकारी शक्ति का उपयोग करने वालों की विवेकाधीन शक्ति के बाहर रखना है"*, इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि मंत्री *"चयन समिति के अन्य सदस्यों को चुनने में उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा और भविष्य की नियुक्तियों से मनमानी के आरोपों को खत्म करने और इसमें*

अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए चयन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर भी विचार करेगा।"

20. इस न्यायालय को उपरोक्त निर्णय द्वारा मार्गदर्शित होना है, तथा अपनी जांच को इस तक सीमित रखना है कि क्या आक्षेपित नियुक्तियाँ (1) कानून के विपरीत हैं, अर्थात् निजी प्रत्यर्थीगण के पास कोई योग्यता नहीं है या वे पात्रता की कोई शर्त पूरी नहीं करते हैं; (2) प्रक्रियागत रूप से अवैध या अनियमित हैं; (3) शक्ति का सद्भावनापूर्वक प्रयोग नहीं किया गया है।

21. जहाँ तक पहले आधार का प्रश्न है, अर्थात् वर्तमान कार्यवाही की पोषणीयता के संबंध में, निजी प्रत्यर्थी इस आधार पर प्रथम याचिकाकर्ता संघ के सुने जाने के अधिकार पर हमला करते हैं कि इसके अध्यक्ष श्री प्रसाद स्वयं एक उम्मीदवार थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि उसके कहने पर याचिका पर वर्जन लगाया गया है, क्योंकि उसका निजी हित है, और अभिवचनों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कार्यवाही का उद्देश्य यह उजागर करना है कि अन्य कथित रूप से अधिक योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे याचिकाकर्ता के सुने जाने के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी गई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है- प्रथम याचिकाकर्ता संघ ने रि.या. 10296/2009 में याचिकाकर्ता के रूप में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसका निपटान 03-02-2010 को भारत संघ की ओर से बयान दर्ज करके किया गया था। निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा *डॉ. दुर्योधन साहू;*

दत्तराज नाथूजी थावरे (पूर्वोक्त) पर भरोसा निस्संदेह यह दर्शाता है कि "सेवा मामला" एक जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है। फिर भी, *एन. कन्नदासन बनाम अजय खोस* (2009 [7] एससीसी 1) इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकारी है कि यदि सार्वजनिक कार्यालय के संबंध में कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, या यदि प्रासंगिक सामग्रियों की अनवेक्षा की जाती है या कार्यकारी सरकार या चयन करने वाली संस्था को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इस तरह के मुकदमे को बनाए रखा जा सकता है।

22. परंपरागत रूप से, अधिकार-पृच्छा रिट के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जिसमें शिकायत की जाती है कि किसी सार्वजनिक पद का धारक ऐसे पद के लिए कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण नियुक्ति का हकदार नहीं है। न्यायालयों ने लगातार अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी अपर्याप्तता की शिकायत कर सकता है, और न्यायालय उस पहलू की जाँच करेंगे; हालाँकि यह अधिकार की रिट नहीं है, फिर भी, यदि शिकायत अच्छी तरह से आधारित है, तो न्यायालय राहत वापस नहीं लेंगे, क्योंकि इसके इनकार के परिणामस्वरूप एक ढोंगी, या विधि द्वारा इसे धारण करने के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति, सार्वजनिक पद पर बने रहना जारी रखेगा (संदर्भ *स्टेट्समैन बनाम एच.आर. देब* एआईआर 1968 एससी 1495; और *मीर गुलाम हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ* एआईआर 1973 एससी 1138, दोनों संविधान पीठों द्वारा दिए गए निर्णय)। इसी तरह के

अन्य निर्णय भी हैं: *श्री कुमार प्रसाद बनाम भारत संघ और अन्य* [(1992) 2 एससीसी 428] और *डॉ काशीनाथ जी जालमी और अन्य बनाम अध्यक्ष और अन्य,* (1993) 2 एससीसी 703)। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि *"यह जाँच करते समय कि कोई व्यक्ति वैध प्राधिकार के अंतर्गत सार्वजनिक पद धारण करता है या नहीं, न्यायालय चुनौती के पीछे देरी या मकसद के तकनीकी आधारों से चिंतित नहीं है, क्योंकि पद पर कब्ज़ा जारी रहने या अवैधता को कायम रहने से रोकना आवश्यक है।"* (*काशीनाथ जी जालमी,* पूर्वोक्त)। *सेंटर फ़ॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन* (पूर्वोक्त) में ही उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि *"किसी नागरिक द्वारा अधिकार-पृच्छा रिट का दावा करने से पहले उसे न्यायालय को यह संतुष्टि देनी होगी कि संबंधित पद एक सार्वजनिक पद है और यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारण किया गया है जिसके पास कोई विधिक प्राधिकार नहीं है और इससे यह जाँच होती है कि उक्त व्यक्ति की नियुक्ति विधि के अनुसार हुई है या नहीं। अधिकार-पृच्छा रिट विधि-विरुद्ध प्राधिकार के निरंतर प्रयोग को रोकने के लिए जारी की जाती है।"*

23. इस मामले के निर्विवाद तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् पिछली याचिका पहली याचिकाकर्ता एसोसिएशन के कहने पर शुरू की गई थी और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दूसरी याचिकाकर्ता एक एसोसिएशन है, जो बाल अधिकारों के मुद्दों से संबंधित है और 13 वर्षों के क्षेत्र के अनुभव के साथ

जुड़ी हुई है, न्यायालय की राय है कि वर्तमान याचिका एक जनहित याचिका के रूप में पोषणीय है। केवल यह परिस्थिति कि पहली याचिकाकर्ता का अध्यक्ष एक उम्मीदवार था जिसने नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, न्यायालय द्वारा समीक्षा का वर्जन नहीं करेगा, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दूसरी याचिकाकर्ता वर्तमान कार्यवाही में एक पक्ष है।

24. अगला पहलू न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यापकता से संबंधित है। इस संबंध में, न्यायालय सार्वजनिक कानून कार्यवाही की प्रकृति द्वारा उस पर लगाई गई सीमाओं से परिचित है, जहाँ प्रक्रियात्मक नियमितता, कानून का अनुपालन, निष्पक्षता और सद्भावना (या इसकी कमी) न्यायिक समीक्षा के एकमात्र आधार हैं। न्यायालय "प्राथमिक निर्णय निर्माता" (भारत संघ और अन्य बनाम जी. गणयुथम एआईआर 1997 एससी 3387) के रूप में वर्णित पद का दायित्व लेने से बचना चाहिए और नियुक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जैसा कि सेंटर फ़ॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पूर्वोक्त) में कहा गया है, न्यायालय नियुक्तियों के लिए नामों की अनुशंसा करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण या समिति (उस मामले में संबंधित अधिनियम 2003 के अंतर्गत एचपीसी) की राय पर अपील में नहीं बैठता है। न्यायालय की भूमिका निम्नानुसार परिभाषित की गई:

> *"हमें यह देखना है कि 3 सितंबर, 2010 को अनुशंसा करने का निर्णय लेते समय 2003 अधिनियम के उद्देश्य से*

संबंधित प्रासंगिक सामग्री और महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा गया था या नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए न केवल उम्मीदवार की पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा, बल्कि अनुशंसा की निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी पूरा करना होगा [एन. कन्नदासन (पूर्वोक्त) का पैरा 88 देखें]। अनुशंसा करने का निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक सूचित निर्णय होना चाहिए कि एक संस्था के रूप में सीवीसी को सतर्कता प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। यदि एचपीसी जैसी कोई कानूनी संस्था, किसी भी कारण से, 2003 अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन से संबंधित प्रासंगिक सामग्री पर गौर करने में विफल रहती है या अप्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखती है, तो उसका निर्णय आधिकारिक मनमानी के आधार पर अमान्य माना जाएगा।"

आगे विस्तार से बताते हुए अभिनिर्धारित किया गया कि:

"अनुशंसाएँ करते समय, एचपीसी एक कानूनी कर्तव्य निभाता है। इसका कर्तव्य अनुशंसा करना है। अनुशंसाएँ करते समय, उम्मीदवार के लोक सेवक या भूतकाल में सिविल सेवक होने के मानदंड को ही एकमात्र विचार नहीं माना जाता है। एचपीसी को अभिलेख देखना होता है और इस बात पर विचार करना होता है कि उम्मीदवार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करने में सक्षम होगा या नहीं। क्या लंबित कार्यवाही से संस्थागत योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि उस कसौटी के आधार पर उम्मीदवार अयोग्य हो जाता है तो एचपीसी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे उम्मीदवार की अनुशंसा न करे..."

पुनर्विलोकन के दायरे और प्रकृति के संबंध में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्णय के गुणागुण पर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता:

> *"हम दोहराते हैं कि सरकार अपने द्वारा लिए गए निर्णय के लिए न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चुनौती दिए जाने पर सरकार अपने निर्णयों की वैधता/वैधता के संबंध में न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी है। हम इस मुद्दे पर अधिकारियों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहते हैं..."*

25. इस विषय पर एक प्रासंगिक निर्णय राजेश अवस्थी बनाम नंदलाल जायसवाल 2013 (1) एससीसी 501 है, जिसने विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग में नियुक्ति का परीक्षण किया था; प्रासंगिक उपबंध (धारा 84 (1)) में बयान किया गया है कि अध्यक्ष और सदस्य *"योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, जिन्हें अभियांत्रिकी, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने का पर्याप्त ज्ञान हो और उन्होंने इसमें क्षमता दिखाई हो।"* उच्च न्यायालय ने चयन समिति की कार्यवाही के साथ-साथ बायो डेटा पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला था कि कानूनी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हुई थीं। न्यायिक पुनर्विलोकन के अतिक्रमण के अपीलार्थी के प्रतिविरोध को खारिज करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कानूनी उपबंधों के उल्लंघन को उजागर करने के लिए अधिकार-पृच्छा हमेशा उपलब्ध है, जो सार्वजनिक पदधारक को इसके लिए दावेदार होने के आरोप में उजागर कर सकता है। माननीय न्या. दीपक मिश्रा,

जिन्होंने एक सहमतिपूर्ण निर्णय दिया, ने कानून का पालन करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बौद्धिक निष्पक्षता की आवश्यकता जिसे व्यक्तियों की उम्मीदवारी पर विचार करते समय लाया जाना चाहिए:

> *"25. अपीलार्थी के चयन में यह स्पष्ट है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में "बौद्धिक निष्पक्षता" का अभाव है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि रचनात्मक बुद्धि अच्छे तर्क लाती है और प्रदत्त शक्ति के सचेत प्रयोग को दर्शाती है। इस तरह की चयन प्रक्रिया में बुद्धि और उद्योग के संयुक्त प्रभाव को प्रतिबिंबित करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब दोनों का संयोजन होता है, तो उपबंध में उपयोग की गई अनुशंसाएँ न केवल "दीपक" के उद्देश्य को पूरा करती हैं, बल्कि एक संपूर्ण "प्रकाश स्रोत" के रूप में भी काम करती हैं जो चमकता हुआ, स्पष्ट और पारदर्शी होता है। "*

26. न्यायिक पुनर्विलोकन में स्वीकार्य समीक्षा के उपरोक्त दायरे में रहते हुए, न्यायालय अब इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगा। सुनवाई के दौरान, भारत संघ ने निजी प्रत्यर्थीगण के चयन और नियुक्ति के संबंध में प्रासंगिक फ़ाइलें और दस्तावेज़ उपलब्ध कराए। यह न्यायालय उन सामग्रियों पर चर्चा करने का प्रस्ताव करता है।

27. भारत संघ ने आयोग में रिक्त पद की स्थिति के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी नहीं दी - और यह सभी पक्षकारगण की स्वीकृत स्थिति है। फ़ाइल से पता चलता है कि लगभग 165 आवेदन प्राप्त हुए थे। दिलचस्प बात

यह है कि जून 2010 में प्रथम याचिकाकर्ता के अध्यक्ष को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत दिए गए जवाब में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबंधित संयुक्त सचिव ने प्राप्त 130 आवेदनों और संबंधित अनुशंसाओं के संबंध में एक सारणीबद्ध चार्ट प्रस्तुत किया। यह जवाब रिट याचिका के अभिलेख का हिस्सा है; इसे अस्वीकार नहीं किया गया है। जिन 130 आवेदनों के संबंध में सूचना दी गई, उनमें से 35 अनुशंसाएँ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा की गई हैं; 18 अनुशंसाएँ राजनीतिक पार्टी पदाधिकारियों द्वारा की गई हैं (जिनमें से 17 कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई हैं); 33 अनुशंसाएँ संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों द्वारा की गई हैं; 7 अनुशंसाएँ मुख्यमंत्रियों और राज्य कैबिनेट मंत्रियों द्वारा की गई हैं तथा 10 अनुशंसाएँ एनसीपीसीआर द्वारा अग्रेषित की गई हैं (जिनमें से कुछ का अध्यक्ष द्वारा समर्थन किया गया है)। 3 आवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजे गए थे। श्री दूबे के आवेदन की अनुशंसा संसद सदस्य श्री करण सिंह ने की थी; इसी प्रकार दो अन्य उम्मीदवारों के आवेदन का समर्थन एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने किया था।

28. ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकों के बायोडाटा/सीवी वाली फ़ाइल 900 पृष्ठों से अधिक की है; वे दस्तावेज़ न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराए गए। याचिका में निजी प्रत्यर्थीगण के सीवी और 4 अन्य के सीवी संलग्न हैं। उन सामग्रियों का व्यक्तिपरक मूल्यांकन करना इस न्यायालय का कार्य नहीं है; ऐसा करना संविधान द्वारा अनुमत अधिदेश का उल्लंघन होगा और विधि में

अस्वीकार्य "गुणागुण पुनर्विलोकन" के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। हालाँकि, न्यायालय के पास अभी भी स्वयं को संतुष्ट करने का दायित्व होगा कि समिति - और बाद में, भारत संघ ने आपत्तिजनक नियुक्तियाँ करने में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं की या कानून से विचलित नहीं हुआ।

29. डॉ. दूबे के सीवी से पता चलता है कि उसका जन्म 1974 में हुआ था। *"योग्यता"* कॉलम के सामने उसने लिखा है *"बी.एड और पीएचडी (मुंबई विश्वविद्यालय) डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस"।* उसने यह भी बताया कि उसे 1996 में *राष्ट्रीय युवा पुरस्कार* मिला था और 2001 में उन्हें *राष्ट्रीय युवा सम्मान* और उसके बाद 2004 में *"श्रेष्ठ बालक पालक पुरस्कार"* से सम्मानित किया गया था। उसने यह भी दावा किया कि उसने कई पुस्तकें, पत्रिकाएँ और शोध लेख लिखे हैं और वे *"भारतीय विकास संस्थान के अध्यक्ष"* हैं और उसने *"चाइल्ड रिलीफ सेंटर (AFFLT)"* चलाया है। वह अखिल भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता महासंघ, उत्तर भारतीय महासंघ, महाराष्ट्र सांस्कृतिक विकास परिषद के अध्यक्ष और कई संगठनों के अध्यक्ष भी था। वह हिंदी सलाहकार समिति, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सेंसर बोर्ड और केंद्रीय रेलवे समिति, रेल मंत्रालय के सदस्य था। अगले खंड में उसने दावा किया कि वह *"बाल विकास और अधिकारों के लिए समर्पित व्यक्तित्व"* था और विस्तार से बताया कि:

> *"डॉ. योगेश दूबे लंबे समय से बाल अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता के लिए*

कार्यशालाएँ, रैलियाँ आयोजित करना, अपने विभिन्न मंचों और संगठनों के माध्यम से बाल अधिकारों पर सेमिनार आयोजित करना। बाल अधिकारों के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। डॉ. योगेश बाल अधिकारों और शिक्षा के लिए कल्याण के लिए कार्य करते हैं, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का आयोजन करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों और अभिभावकों के लिए विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, विद्यालय की वर्दी, पुस्तकें, कलम, पेंसिल का वितरण करते हैं और कम कीमत पर खेल सामग्री की व्यवस्था करते हैं"।

"बाल मनोविज्ञान" कॉलम में डॉ दूबे ने बयान किया कि वह बाल मनोविज्ञान पर कार्य कर रहा था

"अपने संगठनों के माध्यम से, और सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करके, मुख्य रूप से बच्चे (एसआईसी: बच्चों के) माता-पिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें बच्चे (एसआईसी: बच्चों के) व्यवहार को देखने और जाँचने के लिए विकसित करना, कम से कम आवश्यक अनुशासन लागू करने से बचना, बच्चों के सामान्य व्यवहार को समझना, स्मृति प्रदान करना, मानसिक रूप से मंद (एसआईसी: मंद) दिव्यांग बच्चों के लिए विकास कार्यक्रम चलाना। बच्चे (एसआईसी: बच्चों) के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम उनकी याददाश्त में सुधार करने के लिए, मानसिक रूप से दिव्यांग (एसआईसी: दिव्यांग) बच्चों के लिए विकास कार्यक्रम। उनकी विभिन्न गतिविधियों जैसे शिक्षा, चिकित्सा उपचार, सामुदायिक मानसिक विकार वाले बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, पिकनिक का आयोजन, गरीब बच्चों और मानसिक विकार वाले बच्चे के (एसआईसी:

बच्चों के) लिए शैक्षिक दौरे, बाल मनोविज्ञान पर माता-पिता के लिए प्रशिक्षण शिविर के माध्यम उनकी मदद करना"।

सीवी में बाल श्रम के क्षेत्र में डॉ. दूबे की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया है:

"बाल श्रम

बाल श्रम भारतीय समुदाय की एक गंभीर समस्या है। डॉ. योगेश दूबे अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से इस विषय पर काम करते हैं, निवारक उपायों और बाल श्रम के विरुद्ध अभियान के लिए विभिन्न सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। उन्होंने बाल श्रम के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अभियान चालक (एसआईसी: चलाए)। उन्होंने मुंबई में विभिन्न होटलों, छोटी औद्योगिक इकाइयों से कई बच्चों को मुक्त कराया, इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में कालीन के कामों से बाल श्रमिकों को मुक्त कराया, राहत कार्य के दौरान उन्होंने उन पर होने वाली हिंसा और अत्याचारों को उजागर किया। उन्होंने बाल श्रम के विधिक पक्ष के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जैसे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना अपराध है और इसके लिए 20,000/- रुपये का जुर्माना और एक साल का दंड है। इस सादर (एसआईसी: संबंध में) नियमों और विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए श्रम मंत्री, आयुक्त और अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें और समूह चर्चाएँ आयोजित कीं"।

30. प्रति शरथपत्र में, डॉ. दूबे ने गवाही दी कि उसने 1995 में अपनी बी.ए. (कला स्नातक) पूरी की और उसके बाद:

वर्ष 2006 में वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय (यू.पी.) से बी.एड. (शिक्षा स्नातक) की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. की है, यह भी सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तर देने वाला प्रत्यर्थी अखिल भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता महासंघ का अध्यक्ष है, जो एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि समुदायों के कल्याण के लिए समाज में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम कर रहा है... यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि ज्ञानश्याम दूबे कला, वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय सुरियावा ज़िला संत रविदास नगर धदोही (यू.पी.) में स्थित है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित पूर्वांचल विश्वविद्यालय से अनुमोदित है"।

आधिकारिक (भारत संघ) अभिलेख में डॉ. दूबे द्वारा 28-10-2010 को लिखा गया एक पत्र शामिल है, जिसमें उसकी अनियमित नियुक्ति से संबंधित आरोपों का खंडन किया गया है। उनमें कुछ दस्तावेज़ों की प्रतियाँ संलग्न हैं, जिसमें वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय से उसके पास मौजूद बी.एड योग्यता (2006 में प्राप्त) के संबंध में अंक पत्र और बी.ए विषयों के संबंध में 1995 में उस्मानिया विश्वविद्यालय के बाहरी उम्मीदवार होने का प्रमाण देने वाली अंक पत्र की एक प्रति शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि 2006 में उनके द्वारा प्रस्तुत हिंदी में थीसिस के संबंध में डॉ. दूबे को प्रदान की गई मुंबई विश्वविद्यालय डॉक्टरेट (पीएचडी) की प्रति अभिलेख में रखी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. दूबे ने 2006 में आयोजित परीक्षा में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से अपनी बी.एड योग्यता हासिल की (पृष्ठ 151, भारत संघ फ़ाइल संख्या 1- 10/2010/सीडब्ल्यू-आई)।

उसी वर्ष (मार्च 2006 में) उसने अपनी डॉक्टरेट थीसिस (पीएचडी प्रमाणपत्र की प्रति के अनुसार "मई, 2006 में प्रस्तुत हिंदी थीसिस" प्रस्तुत की, जिसमें दीक्षांत समारोह की तिथि 14 जनवरी, 2007 बताई गई है) प्रस्तुत की। यह एक स्पष्ट विसंगति थी, जिसकी निश्चित रूप से जाँच की आवश्यकता थी। बायोडाटा में केवल इतना उल्लेख किया गया था कि डॉ. दूबे बी.एड और पीएचडी (मुंबई विश्वविद्यालय) थे। फिर भी, अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि बी.एड योग्यता मुंबई विश्वविद्यालय से नहीं थी; उस योग्यता को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ बताते हैं कि यह योग्यता पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा 2006 में प्रदान की गई थी। इस तथ्य ने डॉ. दूबे द्वारा प्रस्तुत बायोडाटा का अवमूल्यन कर दिया। इसके अतिरिक्त, इन सामग्रियों ने कुछ प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ दिया, अर्थात् कि डॉ. दूबे ने डॉक्टरेट थीसिस जमा करने की पात्रता के लिए स्नातकोत्तर योग्यता कब हासिल की, और क्या उसने बी.एड परीक्षा उत्तीर्ण की और साथ ही 2006 में हिंदी में डॉक्टरेट थीसिस भी जमा की। ये पहलू स्पष्ट रूप से भारत संघ के शपथपत्र को झूठा साबित करते हैं, विशेष रूप से पैरा 31-32 के जवाब में इसका दावा कि चयनित व्यक्तियों के बायोडाटा को "चयन समिति द्वारा ध्यानपूर्वक देखा और विचार किया गया था" और कहा गया कि चयनित उम्मीदवार "सभी संबंधित कार्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाले व्यक्ति हैं।" यदि इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि 2006 में - यहाँ तक कि मई, 2006 में भी, डॉ. दूबे

केवल 31 वर्ष का था, तो बाल अधिकार या बाल विकास के प्रासंगिक क्षेत्र में उसके "प्रतिष्ठा" और "अनुभव" की संभावना दूर थी। सुश्री अंजू भल्ला के फ़ाइल टिप्पण (दिनांक 03-11-2010) - जो डॉ. दूबे के दावों की विसंगति के बारे में आपत्तियों से संबंधित है, कि उसने जानकारी छुपाई और "डॉ. योगेश दूबे जिन संगठनों से जुड़े होने का दावा करता है उनमें से कोई भी इंटरनेट पर नहीं पाया जा सकता है" ने आपत्तियों को खारिज कर दिया और कहा कि समिति ने सभी आवेदनों के दावों को "ध्यान से देखा और विचार किया" और कहा कि चयनित उम्मीदवार "सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कार्य के संबंधित क्षेत्रों में प्रतिष्ठा और अनुभव है।" (फ़ाइल टिप्पण के पैरा 7 को देखें, जिसे अंततः सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया)।

31. जहाँ तक श्री टिक्कू का प्रश्न है, याचीगण की आपत्ति यह है कि उसका मुख्य अनुभव एक बैंकर के रूप में है और उसने 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने तक 23 वर्षों तक एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में काम किया था और वह प्रभारी मंत्री, सुश्री कृष्णा तीरथ के पति के करीबी थे, क्योंकि वह उस बैंक में उनके वरिष्ठ अधिकारी था जहाँ उसने पहले काम किया था। भारत संघ ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि दोनों व्यक्ति एक वर्ष तक एक ही शाखा में थे। जहाँ तक योग्यता या उपयुक्तता की बात है, यह प्रतिवाद दिया गया है कि श्री टिक्कू मास्टर ऑफ़ सोशल वर्क में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। उसका सीवी निम्नानुसार है:

"शैक्षणिक योग्यता:

बी.एससी. : कश्मीर विश्वविद्यालय, अंग्रेज़ी, गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के रूप में प्रमुख विषयों के साथ

एम.ए. (एस.डब्ल्यू.) : दिल्ली स्कूल ऑफ़ सोशल वर्क, दिल्ली विश्वविद्यालय बाल और सामुदायिक विकास में विशेषज्ञता के साथ

एम. फिल : 1978 - दिल्ली स्कूल ऑफ़ सोशल वर्क, दिल्ली विश्वविद्यालय कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में विशेषज्ञता के साथ

चिल्ड्रन्स होम किंग्सवे कैंप में ब्लॉक फ़ील्ड वर्क और किंग्सवे कैंप और कुट्रम लाइन्स में सामुदायिक विकास के साथ सामुदायिक कल्याण और बाल विकास पर विशेष ज़ोर देने के साथ सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से दिल्ली के गंदी बस्ती क्षेत्रों में

ग्राम महिला केंद्र के साथ संबद्ध बाद में इसका नाम बदलकर सेंटर फ़ॉर कम्युनिटी एक्शन एंड डेवलपमेंट (सीसीएडी) है। यह वर्तमान में दिल्ली में बुरारी अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में संचालन में है। यह सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के आधार पर लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सशक्त समुदाय के निर्माण की कल्पना करता है। इसने समुदाय में तीन महिलाओं की स्व सहायता समूहों को

सफलतापूर्वक आयोजित किया है और शंकरापुरा और भर्गीरिहि समूहों में गतिविधियों को केंद्रित कर रहा है।

1971 में एक फ़ील्ड प्रदर्शन परियोजना के रूप में स्थापित चाइल्ड गाइडेंस सेंटर (सीजीसी) के साथ संबद्ध और अब उनका नाम बदलकर सेंटर फ़ॉर चाइल्ड एंड एडोलसेंट वेलबिंग (सीसीएडब्ल्यू) कर दिया गया है। केंद्र में 3 वर्ष से अधिक आयु के व्यवहारिक और भावनात्मक समस्याओं तथा अन्य विशिष्ट बाल्यावस्था विकारों वाले बच्चों को निदानात्मक उपचार और रेफ़रल सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जिसमें अंतःविषयी दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चे, उसके माता-पिता, परिवार, विद्यालय और समुदाय के स्तर पर योजनाबद्ध हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चों की समस्याओं को समझना है, तथा मनोचिकित्सकों, बाल मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों और होम्योपैथ की सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में वरिष्ठ प्रबंधक सह प्रशासक के रूप में तेईस वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, क्षेत्र संचालन के साथ-साथ प्रशासनिक ढाँचे में विभिन्न भारतीय शहरों में विभिन्न भूमिका कार्यों में काम किया है, अब एक ऐसे कॉर्पोरेट माहौल में काम करने के लिए उत्सुक हूँ जो अपने अंदर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को बाहर निकालने और अपने अनुभवों और क्षमताओं के साथ इंटरैक्टिव और अभिनव तरीकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर समाज को लाभ पहुँचाने का मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र प्रभाग टीसीपीओ में "सामाजिक सामंजस्य और भौतिक रूप" परियोजना पर काम किया है"।

श्री टिक्कू के प्रति शपथपत्र के प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं:

"रिट याचिका के पैरा सं. 28 और 29 की विषय-वस्तु झूठी, गलत, भ्रामक है, इसलिए इसे विशेष रूप से अस्वीकार किया जाता है। यह सम्मानपूर्वक कहा जाता है कि उत्तर देने वाला प्रत्यर्थी एक प्रमुख राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संस्थान अर्थात् दिल्ली समाज कार्य विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से व्यावसायिक रूप से योग्य सामाजिक कार्यकर्ता है तथा सीपीसीआर अधिनियम 2005 के उपबंधों के अनुसार एनसीपीसीआर में सदस्य के पद के लिए भी सभी योग्यताएँ रखता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 3 की व्यावसायिक योग्यता के आधार पर देश में बाल अधिकारों की रक्षा में कुछ अग्रणी कार्यों का खुलासा किया गया, जिसमें कुख्यात भारत विकास संघ एनजीओ द्वारा संचालित 'अपना घर' रोहतक भी शामिल है, जिसमें 103 कैदियों को गंभीर शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या "ड्रोन फाउंडेशन", गुड़गाँव में लड़कियों के यौन शोषण के कारण एचआईवी संक्रमण या 'सुपर्णा का आंगन', गुड़गाँव, हरियाणा में बच्चों का यौन शोषण या रायचूर, कर्नाटक में कुपोषण से होने वाली मौतों की जाँच की गई, जिसे हमारे प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रीय शर्मिंदगी के रूप में प्रस्तुत किया गया। राजस्थान में शिशु हत्या और कन्या भ्रूण हत्या के मामले, मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शिशु और नवजात मृत्यु दर, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय क्षेत्रों के एक हज़ार से अधिक बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार से वंचित रखने के मुद्दे, जिसकी राज्य सरकार द्वारा 40 वर्षों से अधिक समय से अनदेखी की जा रही है, को संबोधित किया गया। तिहाड़ जेल में बंद बच्चों की पहचान वयस्कों के रूप में करने का काम भी प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा किया गया

था। एक राष्ट्रीय दैनिक द्वारा प्रकाशित यह खबर, कि चिकित्सक बड़ी संख्या में लड़कियों को लड़कों में बदल रहे हैं, जिसने न केवल देश का बल्कि विश्व का भी ध्यान खींचा, भी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा की गई अग्रणी जाँचों में से एक थी। प्रत्यर्थी सं. 3, एनसीपीसीआर का सदस्य होने के नाते, सीपीसीआर अधिनियम 2005 के उपबंधों का पालन नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय में तीन सरकारों के विरुद्ध कदम उठाए और चार महत्वपूर्ण मामलों में राहत पाने में सफल रहा, जैसे बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोगों की स्थापना, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 34 (3) के अंतर्गत बाल देखभाल संस्थानों की पहचान और पंजीकरण, चयन समिति का गठन और बाल देखभाल संस्थानों के लिए निरीक्षण समिति के गठन द्वारा एक मज़बूत निरीक्षण तंत्र की स्थापना।

याचीगण ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी पहल पर उचित जाँच की है और कई सीवी प्राप्त किए हैं, ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के संवैधानिक अधिकार को ग्रहण करना चाहते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि ये आरोप झूठे और तुच्छ हैं क्योंकि अन्य उम्मीदवारों ने प्रत्यर्थी सं. 1 के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय द्वारा की गई नियुक्तियों/चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें याचिका में भी नहीं रखा गया है और न ही याचीगण द्वारा पद के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों की कोई सूची दायर की गई है। इस प्रकार उम्मीदवारों की सूची के अभाव में संलग्न सीवी विश्वसनीय नहीं हैं और उन पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह दोहराया जाता है कि याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए"।

32. न्यायालय विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के सापेक्ष गुणागुण की जाँच करने के लिए इच्छुक नहीं है, न ही इसके लिए सुसज्जित है। फिर भी, यह सोचने में मदद नहीं कर सकता कि निजी प्रत्यर्थीगण की उम्मीदवारी के मामले में, भारत संघ द्वारा अपने शपथपत्र में उनके "क्षेत्र में अनुभव" और "विशेषज्ञता" की पुष्टि "योग्यता", "स्थिति", "अनुभव" और "प्रतिष्ठा" को दर्शाती है या नहीं। इस न्यायालय के विचार में इन शब्दों का उपयोग संसदीय आशय को उजागर करता है कि केवल सिद्ध गुणागुण और ट्रैक रिकॉर्ड वाले और विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित लोगों को ही एनसीपीसीआर के लिए चुना जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आदि की तरह आयोग का गठन विभिन्न - यद्यपि अंतर-संबंधित - विषयों में विशेषज्ञता लाने के उद्देश्य से किया गया है, जिसका उद्देश्य नीतियों में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करना है। एनसीपीसीआर के मामले में, विभिन्न क्षेत्र (शिक्षा, बाल मनोविज्ञान, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण या बाल विकास; किशोर न्याय या उपेक्षित या हाशिए पर पड़े बच्चों या दिव्यांग बच्चों की देखभाल; बाल श्रम या संकटग्रस्त बच्चों का उन्मूलन; बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र; और बच्चों से संबंधित विधि प्रासंगिक विषय या क्षेत्र हैं)। पक्षपात का आरोप लगाने के अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने प्रभारी मंत्री को अभियुक्त नहीं बनाया है। आरोप, अपने आप में, मामले में लागू पक्षपात के "उचित आशंका" या "वास्तविक खतरे" के मानक

को मापने के लिए अपर्याप्त हैं, यह देखते हुए कि उक्त प्रत्यर्थी ने 2001 में नौकरी छोड़ दी और 2010 में संबंधित पद के लिए आवेदन किया। यह न्यायालय श्री टिक्कू की उम्मीदवारी के संबंध में कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष देने से बचता है, इस कारण से कि हालाँकि उसकी क्षमता, स्थिति और प्रतिष्ठा के बारे में सामग्री कम है, फिर भी उनकी योग्यता के संबंध में उनकी पात्रता को इंगित करने के लिए कुछ है। न्यायालय इस तथ्य से भी परिचित है कि श्री टिक्कू अब 59 वर्ष के हैं, और टिप्पण (अन्य उम्मीदवारों के आवेदन को खारिज करते हुए) के अनुसार आगे की नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, जैसा कि फ़ाइल टिप्पण (दिनांक 03.11.2010) से स्पष्ट है कि "58-59 वर्ष के करीब या अधिक आयु वाले" लोगों की नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

33. इस मामले में, चयन समिति ने स्पष्ट रूप से चार मौकों पर बैठक की और विचार-विमर्श किया। नियुक्तियों के संबंध में सबसे पहला विचार 11-2-2010 को लिया गया था जब अधिकारियों ने 03-02-2010 के न्यायालय के आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि चयन समिति नियुक्त की जानी चाहिए। 06-04-2010 को, भारत संघ ने सदस्यों के संबंध में चयन समिति के गठन का आदेश जारी किया; इसमें प्रभारी मंत्री, भारत संघ के सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय और सुश्री पद्मा सेठ शामिल थे। सुश्री सेठ की अक्षमता या अनिच्छा के कारण डॉ. श्यामा चोना ने उसका स्थान ले लिया। सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विभिन्न नामों पर विचार करने

के लिए समिति की चार बार बैठक हुई। प्रत्येक समिति की बैठक के कार्यवृत्त में अनुमोदित संबंधित नामों पर नीचे चर्चा की गई है।

34. पहली बैठक अर्थात् 29-04-2010 को "विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त नामांकनों पर" विचार किया गया और नियुक्ति के लिए "निम्नलिखित व्यक्तियों को चुना गया"। “शिक्षा” शीर्षक के लिए डॉ. डेफ्ने पिल्लई (आयु की पुष्टि नहीं हुई) और डॉ. रेणु सिंह को चुना गया; “स्वास्थ्य” के लिए डॉ. दिनेश लारोइया को चुना गया; किशोर न्याय या देखभाल के लिए “श्री रवेन्द्रंददिरा को इस टिप्पणी के साथ चुना गया कि उसकी आयु की पुष्टि की जानी है; "बाल श्रम" के लिए डॉ. योगेश दूबे, सुश्री अल्पा वोहरा (टिप्पणी "आयु की पुष्टि की जानी है" के साथ और श्री गेरी पिंटो (फिर से "आयु की पुष्टि की जानी है") को चुना गया था। "बाल विधि" शीर्षक के लिए सुश्री दीपा दीक्षित को चुना गया था और "बाल मनोविज्ञान" शीर्षक के लिए श्री विनोद कुमार टिक्कू को चुना गया था। अगली बैठक (दूसरी बैठक), अर्थात् 09-07- 2010 में, "शिक्षा" के अंतर्गत पहले उल्लिखित दो नामों को बरकरार रखा गया था; हालाँकि, सुश्री सुखान्या भरतराम का नाम जोड़ा गया था; स्वास्थ्य के लिए, डॉ. लारोइया के अतिरिक्त, श्री शशांक शेखर और डॉ. फ़ादर एंथनी सेबेस्टियन के नाम जोड़े गए थे; किशोर न्याय एवं देखभाल विभाग के प्रमुख के लिए, श्री रवेन्द्रंददिरा (जिनके नाम के आगे आयु के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है) के अतिरिक्त दो अन्य नाम जोड़े गए, अर्थात् मैसर्स जे.पी. तिवारी और श्री प्रदीप रघुनंदन (आयु की पुष्टि की

जानी है)। बाल श्रम शीर्षक में डॉ. दूबे और सुश्री अल्पा वोरा का नाम बरकरार रखते हुए दो अन्य नाम (मैसर्स मदन मोहन विद्यार्थी और अशोक सिंह) जोड़े गए। बाल विधि शीर्षक के अंतर्गत सुश्री दीपा दीक्षित के नाम के साथ दो नाम जोड़े गए, अर्थात् डॉ. चारू वलीखन्ना और श्री साबू थॉमस। बाल मनोविज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्री टिक्कू का एकमात्र नाम बरकरार रखा गया। 27-07-2010 की बैठक में पूर्व में उल्लिखित नामों को बरकरार रखा गया (शिक्षा के संबंध में छोड़कर) कि समिति ने महसूस किया कि इसमें एससी/एसटी समुदायों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और इसलिए बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण या बाल विकास से संबंधित सूची में डॉ. एन पॉल दिवाकर का नाम जोड़ा गया। शिक्षा शीर्षक के अंतर्गत, जो नाम पहले सूचीबद्ध किए गए थे और दूसरी बैठक में दोहराए गए थे, अर्थात् डॉ. डेफ्ने पिल्लई और डॉ. रेणु सिंह को हटा दिया गया। हालाँकि इस पहलू पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि "शिक्षा" शीर्षक के अंतर्गत की गई नियुक्ति को चुनौती नहीं दी गई है, नामों को शामिल करने और हटाने का तरीका समिति के विचार-विमर्श में काफ़ी हद तक अस्पष्टता को दर्शाता है। चौथी बैठक (01-09-2010) में समिति ने चयन के लिए केवल तीन नामों को अंतिम रूप दिया, अर्थात् सुश्री सुकन्या भरतराम (शिक्षा); सुश्री दीपा दीक्षित (बच्चों से संबंधित विधि) और श्री विनोद कुमार टिक्कू (बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र)। अंतिम बैठक में, इन तीन नामों को दोहराने के अतिरिक्त, समिति ने तीन अन्य का चयन किया, अर्थात् डॉ. दिनेश

लारियोआ (बाल देखभाल, कल्याण और विकास), सुश्री अमिता ढांडा (किशोर न्याय या हाशिए पर पड़े बच्चों या दिव्यांग बच्चों की देखभाल) और डॉ. दूबे (बाल श्रम या संकटग्रस्त बच्चों का उन्मूलन)।

35. यह न्यायालय अपनी सीमाओं और "गुणागुण पुनर्विलोकन" करने से बचने की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह सचेत है। इसलिए, यह अपनी समीक्षा को तय मापदंडों तक सीमित कर रहा है, अर्थात् कि क्या अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी थी, और क्या निजी प्रत्यर्थीगण को कानूनी रूप से निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है - यहाँ तक कि न्यूनतम तरीके से भी, चुने गए उम्मीदवारों के गुणों और कमज़ोरियों के बारे में, विशेष तौर पर जहाँ एक से अधिक आवेदक एक ही शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। आखिरकार किस बात ने समिति को कुछ नामों को छोड़ने और अंतिम रूप से नियुक्त किए गए लोगों के नामों को स्वीकार करने के लिए राजी किया, यह न्यायालय को उपलब्ध कराए गए अभिलेख से पता नहीं चलता है। न ही भारत संघ द्वारा दायर शपथपत्र में यह बताने के लिए कोई प्रकाश डाला गया है कि क्या कम से कम चुने गए उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता और अनुभव पर विचार किया गया था, और क्या किसी प्रकार की रैंकिंग, अंकन या मूल्यांकन प्रणाली अपनाई गई थी। माना कि कानून चुप है; फिर भी कार्यकारी प्राधिकारी का दायित्व एक सूचित निर्णय लेना है। यह कहना एक बात है कि

अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष थी, या प्रत्यक्षतः निष्पक्ष थी, लेकिन यह कहना पूरी तरह से दूसरी बात है कि निर्णय के कारण निर्माता के दिमाग में हैं। यह न्यायालय इस बात पर बल दे रहा है कि किसी एक उम्मीदवार को चुनने के कारणों को दर्ज करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है - आखिरकार, जब बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो कुछ छंटनी तो करनी ही पड़ती है। न्यायालय उस स्तर की समीक्षा का पुनर्विलोकन नहीं कर रहा है; फिर भी, कई उम्मीदवारों को चुनने के बाद, जिनमें से कुछ को बरकरार रखा गया (विशेषकर "बाल श्रम या संकटग्रस्त बच्चों का उन्मूलन" शीर्षक के संबंध में और उन्हें कम से कम दो बार दोहराया गया) अल्पा वोरा, मैसर्स मदन मोहन विद्यार्थी और अशोक सिंह के नाम हटाने के कारणों का पूरी तरह से अभाव है। अल्पा वोरा के मामले में, उसके सीवी से पता चलता है कि उसे इस क्षेत्र में लगभग 23-24 साल का प्रासंगिक अनुभव था, और उसने यूनिसेफ़ के साथ-साथ किशोर न्याय और बाल देखभाल के क्षेत्रों में भी कार्य किया था। उनका सीवी अभिलेख पर है; इसमें विशिष्ट कार्यक्रमों (जिनके विवरण का उल्लेख किया गया है) के संचालन और इस आवेदक के कई प्रकाशनों सहित व्यापक अनुभव का प्रकटीकरण किया गया है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि कारणों पर ज़ोर इस उम्मीदवार के नाम को हटाने के निर्णय के गुणागुण की जाँच करने के लिए नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि उस स्तर पर समिति को वास्तव में क्या सूझा और उसने उसकी उम्मीदवारी को हटाने के लिए उन्हें राजी किया।

36. इस संदर्भ में, न्यायालय इस कानूनी आवश्यकता से परिचित है कि चुने गए व्यक्ति में "योग्यता", "स्थिति", "ईमानदारी" और "प्रतिष्ठित" होना चाहिए। न्यायालय की राय में इन शब्दों का उपयोग नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक को ऐसे व्यक्तियों को चुनने और नियुक्त करने पर केंद्रित करने के लिए किया गया था जिनमें उत्कृष्ट और विशुद्ध गुण हों; संक्षेप में, दूरदर्शी - और संबंधित विषय में अग्रणी हो सकते हैं। डॉ. दूबे के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता देखी गई या पहचानी गई, इसका प्रकटीकरण करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है। न्यायालय इस संदर्भ में श्री टिक्कू को चुनने में समिति की पसंद पर टिप्पणी करने से सावधान है - कि कम से कम उसके पास क्षेत्र (समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य) से संबंधित शैक्षिक योग्यताएँ हैं और उसने इस संबंध में कुछ प्रमाण पत्र अभिलेख पर रखे हैं। लेकिन डॉ. दूबे के मामले में, शैक्षिक योग्यता के बारे में उसके दावे के संबंध में स्पष्ट विसंगतियों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया; उनका सीवी संबंधित विषय या क्षेत्र में किसी भी प्रासंगिक अनुभव को विशेष रूप से इंगित नहीं करता है। उसकी डॉक्टरेट थीसिस हिंदी में है। उनके अंतिम चयन और नियुक्ति को "बौद्धिक निष्पक्षता की अनुपस्थिति" (राजेश अवस्थी केस, पूर्वोक्त) के कारण उचित ठहराया जा सकता है। जहाँ तक श्री टिक्कू की नियुक्ति को चुनौती देने की बात है, यह न्यायालय उस संबंध में याचीगण के प्रतिविरोधों से सहमत होने के लिए तैयार नहीं है।

37. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि डॉ. दूबे का चयन और नियुक्ति धारा 3 (2) (ख) के आदेश के विपरीत है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री यह नहीं दिखाती है कि उसके पास उस क्षेत्र या विषय से संबंधित योग्यताएँ थीं जिसके लिए उसे एनसीपीसीआर में चुना गया था; वे यह भी दिखाते हैं कि समिति किसी भी मानक को लागू करके, उचित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकती थी कि उसके पास उस क्षेत्र में योग्यता, स्थिति, क्षमता या प्रतिष्ठा थी। यह न्यायालय इस बात पर ज़ोर देता है कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए विचारित किए जाने से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है- हालाँकि कुछ न्यूनतम योग्यताएँ आवश्यक होंगी; फिर भी उसके पास उस क्षेत्र में कुछ हद तक अनुभव, क्षमता या विशिष्टता होनी चाहिए ताकि यह विश्वास पैदा हो कि एनसीपीसीआर से संबंधित मुद्दे, विशेष रूप से उस श्रेणी या विषय में जिसके लिए उसे चुना गया है, को सक्षम और कुशलतापूर्वक संभाला जा सकता है। इस न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है वह डॉ. दूबे के विवरण के गुणागुण पुनर्विलोकन पर आधारित नहीं है, बल्कि उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर है जो कहीं भी यह नहीं बताती हैं कि उसे चुने गए क्षेत्र में प्रतिष्ठा, क्षमता या प्रतिष्ठा रखने वाला कैसे कहा जा सकता है।

38. विदा लेने से पहले, यह न्यायालय इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि एनसीपीसीआर जैसे राष्ट्रीय स्तर के आयोग के लिए चयन किसी भी

उद्देश्यपूर्ण दिशा-निर्देशों पर आधारित नहीं है। यह चूक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस न्यायालय की राय में ऐसे दिशा-निर्देश आवश्यक हैं क्योंकि राज्य आयोगों के सदस्यों के लिए आवश्यक आवश्यकताओं के संबंध में भी यही भाषा दोहराई जाती है। साथ ही, योग्यता की प्रकृति के साथ-साथ आवश्यक माने जाने वाले अनुभव की गुणवत्ता के बारे में कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित करने से भविष्य की चयन समितियों का काम आसान हो जाएगा। एक और पहलू जिस पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है, वह है कुछ उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन पद्धति शुरू करना, जिसमें योग्यता, क्षेत्र में अनुभव, प्रकाशन का मूल्यांकन और सेमिनार, कार्यशालाओं आदि में भागीदारी के लिए अलग-अलग भारांक या अंक शामिल हों। ऐसे मानदंड एनसीपीसीआर के सदस्यों और अध्यक्ष के लिए नामों की स्क्रीनिंग और अनुशंसा करने के लिए चयन समिति गठित करने की भारत संघ की प्रतिबद्धता के अतिरिक्त हो सकते हैं; भारत संघ की वेबसाइट पर अनुशंसित नामों को अस्थायी रूप से पोस्ट करने की प्रक्रिया भी जारी रखी जा सकती है। रिक्तियों को भरे जाने के समय अधिक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि देश भर से अधिक संख्या में संभावित उम्मीदवार आवेदन कर सकें और आयोग में उनके नाम पर विचार किया जा सके।

39. उपरोक्त कारणों से, दूसरे प्रत्यर्थी डॉ. योगेश दूबे का एनसीपीसीआर के सदस्य के रूप में चयन और नियुक्ति अभिखंडित की जाती है। रिट याचिका

को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है; जुर्मानों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(एस. रवींद्र भट)
न्यायाधीश

(नजमी वज़ीरी)
न्यायाधीश

07 नवंबर, 2013

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*